[illegible] ...ने पेश की।

20/1/26 पत्रावली पेश। वकील वादी एवं पेशकार सरकार उप.। वकील वादी को प्रार्थना पत्र 3/11/25 पर सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार। मूल वाद पत्र में दर्ज खसरा खसरा नं. को साबित पढ़ा जावे तथा प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नं. को लाल स्याही से अंकित किया जावे। तदुपरांत वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण पर अंतिम बहस पुनः सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर जिला लेख भण्डार में शामिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
306/2019	10.10.2019	20.01.2026

बउनवान

1. कीमतराय
2. डालचन्द
3. ब्रजमोहन पुत्रान श्री मातादीन
4. नवीनदत्त
5. कमलकाना पुजान श्री हरिदत्त पौत्रान श्री मातादीन
6. हेमलता
7. सुषमा बाई पुत्रीयान श्री हरित पौत्रान श्री मातांदीन
8. पुष्पा देवी पत्नी श्री हरिदत्त पुत्रवधू मातादीन जातीयांन ब्राहमण निवासीयान भुनगडा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

जस्थान सरकार मार्फत
जिला कलेक्टर महोदय अलवर जिला अलवर राजस्थान)
तहसीलदार महोदय मुण्डावर तहसील मुण्डाबर जिला अलवर राजस्थान। जर्ये
जस्थान सरकार लैण्ड होल्डर

—प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय हु० ई०
दवानी मशअरे इसके कि आराजी हाल खाता सा 341 में दर्ज 350 रकबा 0.42 है0, 429 रकबा 0.56 है0, 435 रकबा 0.76 है0, 481 रकवा 0.21 है0, 664 रकबा 1.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 है० वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर के वादी गण खातेदार काश्तकार हैं। जो अंकन राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

रिकार्ड में गैर खातेदार का चला आ रहा है, गलत है, काटा जाकर खातेदार दर्ज किया जावे। अन्तर्गत धारा 88,89,188 व धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान सरकार के परिपत्र ए(15) राजस्व/पुनर्वास/2009 दिनांक 06.10.2009

उपस्थित श्री अखिलेश कौशिक –वकील वादीगण

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित इस न्यायालय में वादीगण ने दावा पेश कर निवेदन किया कि

1. यह है कि बाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर में स्थित खाता सं० 341 में दर्ज हाल आराजी ख० नं० 350/0.42 हैव०, 429/0.56 हैव०, 435/0.76 हैक0, 481/0.21 हैक0, 664/1.11 हैक, जो कंमशः साबिक खसरा नम्बरान 210 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 309 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 310 रकबा 11 विस्वा, 319 रकबा 3 बीघा तथा 355 रकबा 17 विस्वा, 440 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 485 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से पैमूद हुये है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दीयात व अन्य राजस्व रिकोर्ड संलग्न वाद पत्र है।
2. यह है कि वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर में स्थित खाता सं0 341 में दर्ज हाल आराजी ख० नं० 350/0.42 हैक0, 429/0.56 हैक0 435/0.76 हेक0 481/0.21 हैक0, 664/1.11 हैक०, जो कमशः साबिक खसरा नम्बरान 210 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 309 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 310 रकबा 11 बिस्वा, 319 रकबा 3 बीघा, तथा 355 रकबा 17 बिस्वा, 440 रकबा 3 बीघा । बिस्वा, 485 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से पैमूद हुये है। जिस पर मिन वादीगण अर्सा दराज से शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है. जिस पर वादीगण से पूर्व वादीगण के बुजुर्गान श्री मातादीन एवं श्री श्यामलाल ब्राहमण काबिज होकर काश्त कर रहे थे। श्री श्यामलाल लावल्द फौत होने से समस्त आराजी वादीगण के बुजुर्गान से वादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुयी है। मिन वादीगण का सजरा निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी

नत्थूराम

भातादीन — श्यामलाल (लावल्द फौत)

डालचन्द | बृजमोहन | कीमतराय | हरिदत्त फौत

हरिदत्त (फौत)

नवीनदत्त पुत्र | कमलकान्त पुत्र | हेमलता पुत्री | सुषमा बाई पुत्री | पुष्पा देवी पत्नी

3. यह है कि उक्त आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादीगण का राजस्व रिकोर्ड में गैरखातेदार का अंकन चला आ रहा है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के वकू में आने से पूर्व से ही वादीगण आराजीयात पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिन्हे खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था। तथा अरसो पुराने कब्जे के आधार पर भी जर्ये कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ भी वादीगण खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है।

यह है कि उक्त आराजीयात पर कस्टोडियन फीस बनती है, तो भी वादीगण अदा करने को तैयार है।

यह है कि धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि पर काबिज है, व खुद काश्त व उपअभिधारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं है, तो प्रव्रत विधि के उपबंधों के अनुसार भूमि में खतेदारी अधिकार अर्जित कर लेता है। प्रस्तुत जमाबन्दीयात में काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय गैरखातेदार दर्ज रिकोर्ड थे। जिससे स्वतः ही खातेदार हो गये। खातेदार दर्ज किया जावे। एवं भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूआवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में सुस्थापित विधि है कि गैरखातेदारी से खातेदारी तीन वर्षों के अन्दर दर्ज कर देनी चाहिये तथा राजस्थान उपनिवेशन (नियम व शर्तें) अधिनियम 1955 की शर्त सं० 9 में प्रावधान है कि किसी भूअभिधारी को तीन वर्षों में खातेदार दर्ज कर देना चाहिये। वादीगण सम्वत् 2003 से पूर्व से ही उक्त आराजीयात पर काबिज है,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

जो अपने आपको उक्त आराजीयात का राजस्व रिकोर्ड में खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है। तथा राजस्थान सरकार के परिपत्र ए (15) राजस्व/पुर्नवास/2009 दिनाक 06/10/2009 के अर्न्तगत भी राजस्व रिकोर्ड में लगातार अंकन होने से वादीगण खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। और भूराजस्व अधिनियम की धारा 9 के तहत भी लगातार आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण व राजस्व रिकोर्ड में अमल होने के कारण वादीगण खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है।

6. यह है कि वादीगण लगातार राजस्व कर्मचारियों के चक्कर लगा लगाकर खातेदारी दर्ज कराने का निवेदन कर चुका है, बार बार टाल बाल करते आ रहे है। अतः दावा दायरी से पूर्व मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 को विधिक नोटिस दो माह प्रेषित किया जा चुका है। जो ड्यूकोर्स में प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुका है, जिसका प्रतिवादीगण ने आज दिनांक तक भी कोई जवाब नहीं दिया है. जब व्यक्तिगत प्रतिवादी सं० 2 से मिला गया तो कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तो ही खातेदार दर्ज किया जावेगा अन्यथा सीखे जो कर लो हम खातेदार दर्ज नहीं करेगें। व वादीगण को आराजी से बेदखल करेगें जिससे वाद हेतूक पैदा होकर दावा हाजा दावा इश्तकरारहक व हु० ई० दवामी पेश करना लाजिम आया है।
7. यह है कि वाद हेतूक बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत करने इंकारी दर्ज करने खातेदार दिनांक 27/09/19 से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।
8. यह है कि आराजी वाके ग्राम भुनगडा ठेठर व पक्षकारान भुनगडा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के रहने वाले है, व प्रतिवादीगण भी राजस्थान सरकार जर्य लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर के है जिससे अदालत श्रीमान को अखत्यार समाअत हासिल है।

अतः दावा हाजा पेशकर निवेदन है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जाये।

(अ) वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी हाल खाता सं० 341 में दर्ज खसरा नं 350 रकबा 0.42 है0, 429 रकबा 0.56 हैक0, 435 रकबा 0.76 है0, 481 रकबा 0.21 हैक0, 664 रकबा 1.11 हैव0, कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 हैक0, वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर का बादीगण का जो गैरखातेदार का अमल चला आ रहा है, उसे काटा जाकर खातेदार दर्ज किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(ब) यह है कि जयें हु० ई० दवामी प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वो गलत अंकन की आड में भिनवादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे व नाही आराजी से बेदखल करे। पाबंद रहे।

(स) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की और से जवाबदावा बिन्दूवार निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया कि :–

1. मुताबिक जांच पटवारी रिर्पोट आ०ख० न० 335 रकबा 0.08 है०, 350 रकबा 0.42 है0, 429 रकबा 0.56 है०. 435 रकबा 0.76 80,481 रकबा 0.21 0.664 रकबा 1.11 है० किता 6 रकबा 3.14 है० वाके ग्राम भूनगढ़ा ठेठर जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 341 में वाद के वादीगण में 1 लगायत 8 के नाम गैर खातेदारी हाल रिडि में दर्ज है तथा आराजी ख० न० 288 रकबा 0.08 है0,289 रकबा 0.33 व 293 रकबा 0.57 है० किता 3 रकबा 0.98 है० वाके ग्राम भूनगडा ठेठर जमाबंदी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 342 बादीगण 1 लगायत 8 के नाम 1/2 हिस्सा गैर खातेदारी हाल रिकार्ड में दर्ज है स्वीकार है जमाबन्दी की प्रति अवलोकनार्थ संग्लन है शेष वादीगण स्वयं सिद्ध करे श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार का है।
2. जिमन न० 2– वादी स्वयं सिद्ध करे
3. जिनम न० 3– वादी द्वारा उल्लेखित तथ्य वादी स्वय सिद्ध करे।
4. जिमन न० 4– श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में आता है।
5. जिमन न० 5– श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है तथ्य स्वयं सिद्ध करें।
6. जिमन न० 6– स्वीकार नहीं है तथ्य वादी स्वयं सिद्ध करें।
7. जिम्न न० 7– श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।
8. जिमन न० 8 कानूनी है।
9. जिमन न० 9– आराजी वाके ग्राम भूनगडा ठेठर व पक्षकारान भूनगडा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर का रहने वाला है स्वीकार है।

श्रीमान जी के न्यायालय में विचारधिन है जो को श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

विशेष तथ्य :–

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1. मुताबिक पटवारी जांच रिर्पोट अनुसार आराजी ख० न० 288/0.08, 289/0.33, 293/0.56 किस्ता 3 रकबा 0.98 है पर वादीगण के हिस्से पर कब्जे कास्त सम्बधि विवाद है एवम् आराजी ख0न0 335/0.08 है पर नरेश पुत्र सोहन लाल अहीर सा० सानोली कब्जे काश्त है।
2. उपरोक्त भूमि UIT/BIDA के क्षेत्राधिकार के अधीन उपरोक्त सभी कस्टोडियन भूमि है।

जवाब दावा के अतिरिक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार मुण्डावर ने वस्तुस्थति की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आराजी खसरा नम्बर 440/0.42, 534/0.56, 543/0.73, 597/0.22, 799/1.11 हैक0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर में कमलकांत नवीनदत्त पुत्रान व हेमलता सुषमाबाई पुत्रीयान व पुष्पादेवी पत्नी हरिदत्त हिस्सा 1/4 कीमतराय डालचन्द ब्रजमोहन पुत्रान मातादीन हिस्सा 3/4 जाति ब्राहामण साकिन भुनगडा अहीर गैरखातेदार हाल रिकार्ड दर्ज है उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान के मौके पर आजारी खसरा नम्बरान 534/0.56, 440/0.42 में सरसों, खसरा नम्बरान 597/0.22, 543/0.73 में प्याज एवं खसरा नम्बर 799/1.11 हैक0 में सरसों, गेहूँ की फसल कास्त पाई गई। उपरोक्त खसरा नम्बरान के मौके पर एवं आसपास के खसरा नम्बरान में मिले स्थनीय कास्तकारों से उक्त आराजीयात में कब्जे कास्त की जानकारी करने पर स्थनीय कास्तकारों द्वारा किमतराय डालचन्द ब्रजमोहन पुत्रान मातादीन व कमलकांत नवीनदत्त वगैरह मुताबिक जमाबन्दी गैररखातेदारों को ही काबिज कास्त बताया गया। मौके पर कब्जे कास्त सम्बन्धित कोई वाद विवाद नहीं बताया गया। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान में किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हैं। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान बीडा/यू आई टी भिवाडी के पैरा फेरी क्षेत्र के अधीन है। उक्त मौका दिनांक 26/11/2024 को तैयार की गई है।

प्रकरण वास्ते कायमी तनकीयात नियत किया जा कर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1. आया आराजी खसरा नम्बर दर्ज जिम्मन नं० 1 व 2 वादीगण की कब्जे कात की आराजी है।

–जिम्मेवादीगण

2. आया बादीगण उक्त आराजीयात पर खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

–जिम्मेवादीगण

3. आया आराजी पर यदि कस्टोडियन फीस बनती है तो वादीगण अदा करने को तैयार है।

–जिम्मेवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

4. आया आराजी कस्टोडियन भूमि है। वादीगण से कस्टोडियन राशि अदा ना होने पर राजस्व हानि होती है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया मुताबिक पटवारी जांच रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 288/0.08, 289/0.33, 293/0.56 किता 3 रकबा 0.98 है पर वादीगण के हिस्से पर कब्जे कास्त सम्बंधि विवाद है एवम् आराजी खसरा नम्बर 335/0.08 है पर नरेश पुत्र सोहनलाल अहीर सा० सानोली कब्जे काश्त है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण

6. आया उपरोक्त भूमि **UIT/BIDA** के क्षेत्राधिकार के अधीन उपरोक्त सभी कस्टोडियन भूमि है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण

7. दादरसी

प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत किया जाकर साक्ष्य वादीगण कराई गई। वादीगण ने बतौर साक्ष्य पी0डब्ल्यू 1 कीमतराय, पी0डब्ल्यू 2 बृजमोहन, पी0डब्ल्यू 3 रोहताश के शपथ पत्र पेश करवाये है। उक्त गवाहान ने अपने शपथ पत्र मे वाद पत्र के तथ्यो का समर्थन करते हुए निवेदन किया की विवादीत अराजीयात पर वादीगण अरसा दराज से शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिसपर वादीगण से पूर्व वादीगण के बुजुर्गान श्री मातादीन एवं श्री श्यामलाल ब्रहम्ण काबिज होकर काश्त कर रहे थे। श्री श्यामलाल लावल्द फौत होने से समस्त आराजी वादीगण के बुजुर्गान से वादीगण को प्राप्त हुई है। उक्त अराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे राजस्व कर्मचारीयो की गलती व लापरवाही से वादीगण का राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदारी का अंकन चला आ रहा है। जबकी राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के वकु मे आने से पूर्व हि वादीगण आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिन्हे खातेदार दर्ज किया जाना चाहीए था, तथा अरसे पूराने कब्जे के आधार पर भी जरिये कब्जा मुखालफाना बाई आपरेशन आफॅ लॉ भी वादीगण खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। धारा 15 राज0 काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय भूमि पर काबिज है व खुदकाश्त व उपअभिधारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है तो प्रवर्त विधि के उपबंधो के अनुसार भूमि मे खातेदारी अधिकार अर्जित कर लेता है। प्रस्तुत जमाबंदियात मे काशतकारी अधिनियम लागू होने के समय गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड थे। जिससे स्वतः ही खातेदार हो गये।

साक्ष्य वादीगण पूर्ण होने उपरांत प्रकरण वास्ते बहस अंतिम नियत किया गया। वकील वादीगण की ओर से लिखित बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत की :—

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1. यह है कि एक प्रार्थना पत्र/दावा वादीगण ने श्रीमान के समक्ष इस अमर का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम भुनगडा तेतर तहसील मुण्डावर में स्थित खाता सं० 341 में दर्ज हाल आराजी ख० नं० 350/0.42 हैक्ट0, 429/0.56 हैक्ट0, 435/0.76 हैक्ट०, 481/0 21 है0, 664/1.11 हैक्ट०. जो आराजीयात प्रार्थीगण / वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर वास्तविक कब्जा है. जिस पर काबिज होकर वादीगण असों से काशा कर रहे है. तथा वादीगण से पूर्व वादीगण के पिता श्री मातादीन व चाचा श्यामलाल काबिज थे तथा जो साबिक खसरा नम्बराम 210 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 309 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 310 रकबा 11 बिस्वा, 319 रकबा 3 बीघा, तथा 355 रकबा 17 बिस्वा, 440 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 485 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, से पैमूद हुये है। राजस्व रिकोर्ड में वादीगण का गैरखातेदार का अमल चला आ रहा है. जिसे कलमजन कराकर खातेदार दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी है। जबकि साबिक खसरा नम्बर 440 में मीरूसी दर्ज रिकोर्ड है. मीरूसी का शाब्दिक अर्थ खातेदार ही है। मौसी व खातेदार एक ही शब्द है।
2. श्रीमान के समक्ष बाद पत्र/प्रार्थना पत्र पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को नोटिस जारी हुये। बाद तामील राजस्थान सरकार जर्ये पैरोकार जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र में दर्ज आराजीयात बाबत राजस्व शुल्क की माग की है।
3. यह है कि जवाब पेश होने पर न्यायालय श्रीमान द्वारा जनकीयात कायम की गयी।जिनमे तीन तनकीयात का भार वादी/प्रार्थी पर व तीन तनकीयात का भार आप्रार्थी पर है।
4. तनकीयात कायम होने के बाद साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू 1 कीमतराय शर्मा वादी बतौर गवाह पी डब्ल्यू 2 बृजमोहन व पी डब्ल्यू 3 रोहिताश्व जो एक पडौसी किसान है, के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये है. एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी हाल सं० 2072 –2075 सं0 2068–2071 सं0 2064 –2067, 2060–2063, 2056–2059 सं0 2052–2055, 2048–2052 सं0 2044–2047 सं० 2039–2043, 2035 सं0 2029 सं० 2021 सं० 2017 सं० 2014 सं० 2013 व सं० 2009 पेश की है, तथा मिलान क्षेत्रफल खसरा मिलान व नक्शा ट्रेस और खसरा गिरदावरी सं० 2014 से 2015 सं0 2017 से 2018 सं० 2019 स० 2024 सं0 2034 से 2042 सं0 2044 से 2048 सं0 2056 से 2059 सं० 2065 से 2068 सं0 2072 एवं फर्द मिलान प्रस्तुत हुये है. जो प्रदर्श सं० 1 ल० 51 है. जिनसे बखूबी लगातार कब्जा काश्त साबित करने में

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थीगण/वादीगण कामयाब हुये है। जिससे वादीगण को खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। खातेदार दर्ज किया जावे।

5. साबिक ख० नं 0 440 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में वादीगण सं0 2009 सं0 2013 सं० 2014 में मोरूसी सं0 2017 व सं0 2021 की जमाबन्दीयों में मोरूसी खातेदारान दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। साबिक ख० नं0 440 से हाल ख० नं० 664 पैमूद हुआ है, जो 'गैरखातेदारान' दर्ज किया हुआ है, जो 'खातेदार' दर्ज किया जावे।

कानूनी बिन्दू

(अ) धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–

वह व्यक्ति जो इस अधिनियम से प्रारम्भ के समय भूमि का उप अभिधारी या खुदकाश्त के अभिधारी से अन्यथा अभिधारी है, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित कर लेता है। अतः खातेदार अभिधारी होगा प्रस्तुत प्रकरण में अभिधारी 'गैरखातेदार' दर्ज राजस्व रिकोर्ड है, जो उप अभिधारी व खुदकाश्त के अभिधारी से अन्यथा अमिधारी है, अतः 'खातेदार' हो गये। 'खातेदार' दर्ज किया जाये।

(ब) प्रतिकूल कब्जे का प्रभाव (Adverse Possession)

जब कोई अभिधारी लगातार 12 वर्षों से किसी भूमि पर काबिज है, तो जरिये कब्जे मुखालफाना (Adverse Possession) के खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है, प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण 70 वर्षों से अधिक से काबिज काश्त है, अतः 'खातेदार' दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

(स) लगान की अनुकूल दरों वाला प्राप्ती कर्ता 'खातेदार' अभिधारी समझा जावेगा धारा 189(2) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रस्तुत प्रकरण मे वादीगण/प्रार्थीगण ने लगान अदा किया है, जिसकी पुष्टि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयात के खाना नम्बर 9 – 10 में लगान की रकम लिखी हुयी है, जिससे साबित है कि लगान अदा किया गया है। अतः धारा 189 (2) के तहत 'खातेदार'दर्ज करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है।

(द) विधि के प्रवर्तन द्वारा–

जब राजस्थान टीनेन्सी एक्ट वकू में आया तो प्रार्थीगण के पिता मातादीन व चाचा श्यामलाल काबिज काश्त थे तो राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्सी आर्डिनेन्स के तहत टीनेन्सी एक्ट के लागू होते ही स्वतः (SU MOTO) ही 'खातेदार' विधि के प्रवर्तन द्वारा By Opretion of Law हो गये।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(ष) एक खातेदारी अभिधारी भूमि का स्वतत्व (स्वामित्व का अधिकार) धारण नहीं करता। वह केवल 'पट्टेदार' (Leassor) है, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की इस परिभाषा के मद्देनजर भी खातेदार ही है।

अतः गैरखातेदार के स्थान पर राजस्व रिकोर्ड में खातेदार दर्ज किया जावे।

(र) भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 मे सुस्थापित विधि है कि गैरखातेदारी से खातेदारी तीन वर्षों के अन्दर दर्ज कर देनी चाहिये। अतः प्रार्थीगण खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

(ल) राजस्थान उपनिवेशन (नियम व शर्ते) अधिनियम 1955 को शर्त संख्या 9 मे प्रावधान है, कि किसी भू अधिकारी की तीन वर्षों में खातेदार दर्ज कर देना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण / वादीगण 70 वर्षों से अधिक से गैरखातेदार दर्ज रिकोर्ड है. जिन्हे खातेदार दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

(व) माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी प्रकरण सं० 6738/2010 निर्णय दिनांक 28/12/10 रामलाल बनाम राजस्थान सरकार, प्रकरण सं० 6243/2012 हजारीलाल बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 18/09/12 तथा प्रकरण सं० 3481/2012 निर्णय दिनांक 29/05/12 जगन्नाथ बनाम राजस्थान सरकार में भू राजस्व 1956 की धारा 9 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर राजस्व रिकोर्ड में खातेदार दर्ज करने के निर्देश सादर फरमाये हैं।

(श) आर आर डी 2014 पेज 740 मोहम्मदीन बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राजस्व मण्डल ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 9 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश सादर फरमाये हैं, जो प्रस्तुत प्रकरण पर बखूबी लागू होता है।

अतः प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करने योग्य है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित है, स्वीकार किया जाकर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

तनकी वार विवेचन–

1. तनकी सं० 1

उपखण्ड अधिकारी
कुड़की (सीथल-तिजारा)

आया आराजी खसरा नम्बरान दर्ज जिम्मन नं० 1 व 2 में प्रार्थीगण/वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है।

—जिम्मे वादी/प्रार्थी

प्रस्तुत तनकी का भार वादी पर है, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य राजस्व रिकोर्ड व मौखिक साक्ष्य से जिसमें लगातार राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण का नाम बतौर गैरखातेदार चला आ रहा है। तथा मौखिक साक्ष्य में वादीगण के अलावा एक पडौसी किसान बतौर गवाह प्रस्तुत हुये हैं, जिससे तनकी सं० 1 वादीगण के पक्ष में बखूबी आयद व साबित है।

2. तनकी सं० 2
आया वादीगण उक्त आराजीयात पर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

—जिम्मे वादी/प्रार्थी

प्रस्तुत तनकी का भार भी प्रार्थी पर है, तनकी सं० 1 दस्तावेज से बखूबी वादीगण के पक्ष में साबित होने व कानून की मंशा भी वादीगण के पक्ष में होने से यह तनकी भी पूर्ण रूप से वादीगण के हक में साबित है। वादीगण खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

3. तनकी सं० 3
आया आराजी पर यदि कस्टोडियन फीस बनती है, तो वादीगण अदा करने को तैयार है।

—जिम्मे वादी/प्रार्थी

यह तनकी कानूनी है, चूंकी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद भूमि का प्रत्येक अधिभारी (Leassor) पट्टेदार की तारीफ में आता है, ना कि मालिक प्रत्येक भूमि की मालिक राज्य सरकार होने से भू धारी या हितधारी खातेदार ही कहलाता है, इसलिये स्पष्ट होता है कि वादीगण खातेदार ही है. प्रस्तुत प्रकरण में आरम्भ से राजस्व रिकोर्ड में मोरूसी दर्ज रिकोर्ड है, 'मोरूसी' काश्तकार ही 'खातेदार' काश्तकार हुआ ऐसी स्थिति में कोई कस्टोडियन फीस या राजस्व वादीगण की तरफ शेष नहीं रहता है, फिर भी वादीगण ने कहीं कोई तथ्य नहीं छुपाया है, शुद्धहस्त होकर न्यायालय श्रीमान से याचना की है. तथा अपने वाद के जिम्मन नं० 4 में स्पष्ट किया है कि कोई निष्क्रान्त या कस्टोडियन शुल्क बनती है, तो वादीगण अदा करने को तैयार है, ऐसी स्थिति में कस्टोडियन शुल्क प्राप्त करना भी उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इससे राजस्व बढता है, अतः शुल्क जमा कराकर खातेदार दर्ज करने के आदेश सादर फरमाये जा सकते हैं,. खातेदार दर्ज करने के आदेश सादर फरमाये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन (खैरथल-तिजारा)

तनकी सं० 4
आया आराजी कस्टोडियन भूमि है। वादीगण से कस्टोडियन राशि अदा ना होने पर राजस्व हानि होती है।

—जिम्मे प्रतिवादी/अप्रार्थी

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर है, चूकी राजस्व रिकोर्ड में पहले से ही साबिक ख० नं० में मोरूसी दर्ज रिकोर्ड है, जिसे शुद्ध किया जाना है। तथा शुद्ध कर खातेदार किया जाना है, ऐसी स्थिति में कोई राज्य अहित नहीं होता है, तथा ना ही कोई कस्टोडियन शुल्क बनती है। फिर भी चूंकी वादी ने भी अपने वाद प्रार्थना पत्र के जिम्मन नं० 4 में स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि यदि कोई कस्टोडियन शुल्क बनता है, तो वादीगण अदा करने को तैयार है, ऐसी परिस्थिति में संस्वीकृति एक बेस्ट एविडेन्स के तहत राज्य हित सर्वोपरि मानते हुये न्यायहित में कस्टोडियन मानते हुये न्यायहित में कस्टोडियन शुल्क जमा कराने के आदेश सादर फरमाये जा सकते है।
अतः लगान का 10 गुना तक राज्य कोष में वादी से राज्यहित में जमा कराये जा सकते है। या फिर दूसरे नियमो के तहत 3000 रूपये कस्टोडियन शुल्क व 3000 रूपये पैनल्टी के तहत वसूल कर रूपये 6,000 रुपये प्रतिबीधा राज्य कोष में जमा करवाने के निर्देश वादीगण को दिये जाकर राशि जमा होने पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश सादर दिये जा सकते हैं।

5. तनकी सं० 5
आया मुताबिक पटवारी जांच रिपोर्ट अनुसार ख० नं0 288/0.08 हैव0, 289/0.33 हैक0, 293/0.56 हैव0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक०, पर वादीगण के हिस्से पर कब्जा काश्त सम्बन्धी विवाद है, एवं आराजी ख० नं० 335/0.08 हैक०, पर नरेश पुत्र सोहनलाल अहीर साकिन सानोली कब्जे काश्त है।

—जिम्मे प्रतिवादी/अप्रार्थी

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर है। चूंकि उक्त खसरा नम्बरान बाबत आदेश 23 नियम 1 के तहत वादीगण ने अपना वाद विड्रा कर लिया है, तथा संशोधित वाद न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, कोई अनुतोष अब उक्त खसरा नम्बरान बाबत नहीं चाहा जा रहा है, तो उक्त तनकी का कोई औचित्य नहीं बचता है, प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (कैरथल-तिजारा)

6. तनकी सं० 6
अथा उपरोक्त भूमि यू.आई.टी. बीडा के क्षेत्राधिकार के अधीन उपरोक्त सभी कस्टोडियन भूमि है।

—जिम्मे प्रतिवादी/अप्रार्थी

इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर है, जो बिन्दू क्षेत्राधिकार संबंधी उठाया है, सरासर गलत है। मुण्डावर तहसील के राजस्व ग्रामों के समस्त राजस्व प्रकरण न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के क्षेत्राधिकार में हैं। अब कुछ दिनों से माननीय जिला कलैक्टर के आदेश से कानूनगो सर्किल अजरका, सोडावास, मातौर, ततारपुर, जिन्दोली में आने वाले राजस्व ग्राम श्रीमान सहायक कलैक्टर महोदय मुण्डावर के न्यायालय में एवं कानूनगो सर्किल मुण्डावर, बीजवाड चौहान, करनीकोट, उलाहेडी, जाट बहरोड के राजस्व ग्रामों का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। जिस आदेश के तहत भी राजस्व ग्राम भुनगडा ठेठर जो कि कानूनगो सर्किल जाट बहरोड के तहत आता है। जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को ही प्राप्त है। तथा यू आई टी बीडा का कार्य क्षेत्र में विकास करना एवं नई योजनाओं को कियान्वयन करना है, जो वह सुगमता से 'गैरखातेदार' काश्तकार भूमि पर भी व 'खातेदार' काश्तकार भूमि पर भी कर सकती है, तथा कस्टोडियन बाबत तनकी सं० 4 में बखूबी विवचेन हो चुका है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध फैसल की जाये।

7. दादरसी
समस्त तनकीयात पर गौर कर प्रार्थी/वादीगण को अनुतोष के तहत खातेदार दर्ज करने के आदेश सादर फरमाये जावें।

न्याय का सिद्धान्त—
प्रस्तुत प्रकरण में समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण / प्रार्थीगण का पक्ष साबित है, आरम्भ से ही राजस्व रिकोर्ड में वादीगण का नाम का अमल प्रत्येक जमाबन्दीयात मे दर्ज राजस्व रिकोर्ड है।

औरल एविडैन्स के तहत वादीगण कीमतराय शर्मा व बृजमोहन शर्मा बतौर गवाह खाने शहादत में उपस्थित हुवा है, तथा समस्त दस्तावेजात प्रदर्श हुये है, जो पढने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तीसरा गवाह रोहिताश गांव का पडौसी किसान है, और उसने भी वादीगण/प्रार्थीगण के प्रकरण की ताईद की है।

ऐसी स्थिति मे समस्त ओरल व दस्तावेजी साक्ष्य विश्वसनीय है, वादीगण अनुतोष पाने का अधिकारी है, वादीगण को खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

1. न्याय के सिद्धान्त के तहत वादीगण का प्राईमाफेसी केस मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से आयद व साबित है। खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है।
2. इररिपेबल लोस /नापूर्ती वाली क्षति वादीगण को होती रही है, यह अच्छी फसल प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ केसीसी, फव्वारा, ग्रीन हाऊस, आदि का लाभ नहीं उठा पा रहा है. जिससे वादीगण को अजहद हानि हो रही है।
3. सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में आरम्भ से आज तक वादीगण का व वादीगण से पूर्व वादीगण के बुजुर्गो का नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है. शुद्ध कर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश सादर फरमाये जाव।

विनम्र निवेदन (HUMBLE REQUEST)–

मेरा विनम्र निवेदन है कि वादी अपने दावे को साबित करने मे पूर्ण रूप से कामयाब हुआ है, इन सभी साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुये तथा वादीगण पिछले 70 वर्षों से अधिक से जो राजस्व रिकोर्ड में गैरखातेदार का अंकन चला आ रहा है, उसे शुद्ध करवाने का अधिकारी है. उसे शुद्ध किया जाकर गैरखातेदार के स्थान पर राजस्व रिकोर्ड मे खातेदार दर्ज करने के आदेश सादर फरमाये जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

हमने पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड एवं विद्ववान अभिभाषक वादीगण की बहस के दृष्टिगत तनकीयात का विवेचन किया। जो निम्न प्रकार है:–

1. तनकी सं० 1

आया आराजी खसरा नम्बरान दर्ज जिम्मन नं० 1 व 2 में प्रार्थीगण/वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है।

–जिम्मे वादी/प्रार्थी

प्रस्तुत तनकी का भार वादी पर है, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य राजस्व रिकोर्ड, तहसीलदार मुण्डावर की तथ्यात्मक रिपोर्ट व मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (कोटकासिम-तिजारा)

वादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे साबित होती है।

2. तनकी सं० 2
आया वादीगण उक्त आराजीयात पर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

—जिम्मे वादी / प्रार्थी

प्रस्तुत तनकी का भार भी वादीगण पर है, मुताबिक तनकी संख्या 01 एवं सलंग्न दस्तावेजात के विवादित आराजीयात पर वादीगण का अरसे दराज से कब्जा काश्त है। विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि है जिसपर वादीगण एवं उनके पूर्वजो का लगातार कब्जा काश्त रहा है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे साबित होती है।

3. तनकी सं० 3
आया आराजी पर यदि कस्टोडियन फीस बनती है, तो वादीगण अदा करने को तैयार है।

—जिम्मे वादी / प्रार्थी

यह तनकी कानूनी है, चूंकी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद भूमि का प्रत्येक अधिभारी (Leassor) पट्टेदार की तारीफ में आता है, ना कि मालिक प्रत्येक भूमि की मालिक राज्य सरकार होने से भू धारी या हितधारी खातेदार ही कहलाता है, इसलिये स्पष्ट होता है कि वादीगण खातेदार ही है. प्रस्तुत प्रकरण में आरम्भ से राजस्व रिकोर्ड में मोरूसी दर्ज रिकोर्ड है, वादीगण के द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत वाद के जिम्मन नं० 4 में स्पष्ट किया है कि कोई निष्क्रान्त या कस्टोडियन शुल्क बनती है, तो वादीगण अदा करने को तैयार है, ऐसी स्थिति में कस्टोडियन शुल्क प्राप्त करना भी उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इससे राजस्व बढता है, अतः शुल्क जमा कराकर खातेदार दर्ज करने के आदेश सादर फरमाये जाना न्यायोचित है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे साबित होती है।

तनकी सं० 4
आया आराजी कस्टोडियन भूमि है। वादीगण से कस्टोडियन राशि अदा ना होने पर राजस्व हानि होती है।

—जिम्मे प्रतिवादी / अप्रार्थी

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर है, चूंकी वादीगण स्वंय ने अपने वाद पत्र के जिम्मन नं० 4 में स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि यदि कोई कस्टोडियन शुल्क बनता है, तो वादीगण अदा करने को तैयार है, ऐसी परिस्थिति में संस्वीकृति एक बेस्ट एविडेन्स के तहत राज्य हित सर्वोपरि मानते हुये एवं विवादीत आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
पूगल (बीकानेर)

कस्टोडियन भूमि होने के कारण न्यायहित/राजहित में कस्टोडियन शुल्क जमा कराया जाना उचित है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे साबित होती है।

5. तनकी सं० 5
आया मुताबिक पटवारी जांच रिपोर्ट अनुसार ख० नं0 288/0.08 हैव0, 289/0.33 हैक0, 293/0.56 हैव0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक०, पर वादीगण के हिस्से पर कब्जा काश्त सम्बन्धी विवाद है, एवं आराजी ख० नं० 335/0.08 हैक०, पर नरेश पुत्र सोहनलाल अहीर साकिन सानोली कब्जे काश्त है।

–जिम्मे प्रतिवादी/अप्रार्थी

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर है। चूंकि उक्त खसरा नम्बरान बाबत आदेश 23 नियम 1 के तहत वादीगण ने ख० नं० 335/0.08 हैक० की हद तक अपना वाद विड्रा कर लिया है, तथा संशोधित वाद न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, कोई अनुतोष अब उक्त खसरा नम्बरान बाबत नहीं चाहा जा रहा है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित होती है।

6. तनकी सं० 6
आया उपरोक्त भूमि यू.आई.टी. बीडा के क्षेत्राधिकार के अधीन उपरोक्त सभी कस्टोडियन भूमि है।

–जिम्मे प्रतिवादी/अप्रार्थी

इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर है, जो बिन्दू क्षेत्राधिकार संबंधी उठाया है, मुण्डावर तहसील के राजस्व ग्रामों के समस्त राजस्व प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के क्षेत्राधिकार में हैं। यू आई टी/ बीडा का कार्य क्षेत्र में विकास करना एवं नई योजनाओं को कियान्वयन करना है, जो वह सुगमता से 'गैरखातेदार' काश्तकार भूमि पर भी व 'खातेदार' काश्तकार भूमि पर भी कर सकती है, तथा कस्टोडियन बाबत तनकी सं० 4 में बखूबी विवचेन हो चुका है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध साबित होती है।

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद मे तनकी संख्या 01 लगायत 03 वादीगण के पक्ष मे साबित होने से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि वादीगण का दावा सिद्ध हैं। अतएव आदेश दिया जाता है कि –

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

01. वादीगण के पक्ष मे वाद डिक्री किया जाता है।
02. विवादित भूमि खसरा नं0 350/0.42 हैक्टर के हाल ख0 नं0 440/0.42 हेक्टर, 429/0.56 हैक्टर के हाल ख0 नं0 534/0.56 हेक्टर, 435/0.76 हैक्टर के हाल ख0 नं0 541/0.01 हैक्टर, 542/0.02 हेक्टर, 543/0.73 हेक्टर, 481/0.21 हैक्टर के हाल ख0 नं0 597/0.22 हैक्टर तथा 664/1.11 हैक्टर के हाल ख0 नं0 799/1.11 हैक्टर वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के राजस्व अभिलेख मे वादीगण को खातेदार के रूप मे दर्ज किया जावे।
03. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के मुताबिक राजकोष मे जमा होने योग्य राशी की गणना कर वादीगण द्वारा उक्त राशी को राजकोष जमा करवाने उपरांत इस निर्णय की पालना मे खातेदारी का अमल राजस्व अभिलेख मे किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
306/2019	10.10.2019	20.01.2026

बउनवान

1. कीमतराय
2. डालचन्द
3. ब्रजमोहन पुत्रान श्री मातादीन
4. नवीनदत्त
5. कमलकाना पुजान श्री हरिदत्त पौत्रान श्री मातादीन
6. हेमलता
7. सुषमा बाई पुत्रीयान श्री हरित पौत्रान श्री मातांदीन
8. पुष्पा देवी पत्नी श्री हरिदत्त पुत्रवधू मातादीन जातीयान ब्राहमण निवासीयान भुनगडा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत
1 जिला कलेक्टर महोदय अलवर जिला अलवर राजस्थान)
2. तहसीलदार महोदय मुण्डावर तहसील मुण्डाबर जिला अलवर राजस्थान। जर्ये राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर

–प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय हु० ई०
दवानी मशअरे इसके कि आराजी हाल खाता सा 341 में दर्ज 350 रकबा 0.42 है0, 429 रकबा 0.56 है0, 435 रकबा 0.76 है0, 481 रकवा 0.21 है0, 664 रकबा 1.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 है० वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर के वादी गण खातेदार काश्तकार हैं। जो अंकन राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार का चला आ रहा है, गलत है, काटा जाकर खातेदार दर्ज किया जावे। अन्तर्गत धारा 88,89,188 व धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान सरकार के परिपत्र ए(15) राजस्व/पुनर्वास/2009 दिनांक 06.10.2009

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पर्चा डिक्री

वादी की ओर से **श्री अखिलेश कौशिक** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **20.01.2026** को **सृष्टि जैन उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि खसरा नं0 350/0.42 हैक्टर के हाल ख0 नं0 440/0.42 हेक्टर, 429/0.56 हैक्टर के हाल ख0 नं0 534/0.56 हेक्टर, 435/0.76 हैक्टर के हाल ख0 नं0 541/0.01 हैक्टर, 542/0.02 हेक्टर, 543/0.73 हेक्टर, 481/0.21 हैक्टर के हाल ख0 नं0 597/0.22 हैक्टर तथा 664/1.11 हैक्टर के हाल ख0 नं0 799/1.11 हैक्टर वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के राजस्व अभिलेख मे वादीगण को खातेदार के रूप मे दर्ज किया जावे।

राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के मुताबिक राजकोष मे जमा होने योग्य राशी की गणना कर वादीगण द्वारा उक्त राशी को राजकोष जमा करवाने उपरांत इस निर्णय की पालना मे खातेदारी का अमल राजस्व अभिलेख मे किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **20-01-2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)